

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर


क्रमांक एफ 1(1)(91)/मअ/स्था/2015/ 100507

जयपुर, दिनांक 12/11/18

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता जिला बाडमेर हेतु विभागीय कम्प्यूटर संबंधी कार्य हेतु Hiring of computer (along with trained personnels) लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र संख्या एफ 02(01)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 (परिपत्र संख्या 01/2018) में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए बजट मद 2235-02-196-02-05 (राज्यनिधि other than schemes) के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2019 तक अथवा इसकी आवश्यकता नहीं रहने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 161801230 दिनांक 02.11.2018 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(1)(91)/मअ/स्था/2015/ 100508-513 जयपुर, दिनांक 12/11/18

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बाडमेर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मअ मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, बजट महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. आदेश पत्रावली।

Received 15.11.18


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता